# कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा

मो0 न0 :– 9431672103

## अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना(द्वितीय)

पूर्व में निविदा सं0 2173 (पशु) 2017–18 प्रकाशित की गई थी परन्तु निविदादाता के भाग नही लेने के कारण निविदा असफल हो गई। अतः पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है –

सर्वसाधारण को सूचित कया जाता है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडो में सुखाड़ एवं बाढ़ के समय वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशुओं के लिए सूखा चारा (गेहूँ, भूसा, नेवारी, कुटटी) क्रय के लिए दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा हेतु दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रहवे दिन (15 दिन) अपराह्न 5 बजें दिन तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी एवं अगले दिन 3 बजे अपराह्न में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के बैठक में खोली जाएगी। जिसमें निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य हैं। उनकी अनुपस्थिति में निविदा समिति की निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगी। सूखा चारा का क्रय आवश्यकतानुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाएगी एवं इस मद में आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

निविदा के साथ रूपये 2500=00 (दो हजार पाँच सौ रूपये मात्र) अग्रधन के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान या पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से अधिपालित कराकर जमा करना अनिवार्य हैं।

निविदा दाता को सबंधित प्रखंडों तक पहुँचा कर, तौलवाकर एवं रखवाकर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य हैं। सुखा चारा का अलग–अलग दर अंकित करना होगा।

1. निविदाताओं को आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा का 500 ग्राम नमूना के रूप में, जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैला में नाम, पता एवे मोबाईल नं0 अंकित करते हुये मुहरबंद कर, निविदा के साथ जमा करना हैं।
2. आपूर्ति की जाने वाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के आधार पर नही होने पर आपूर्ति नहीं ली जाएगी।
3. आपूति आदेश निर्गत होने के 7 दिनों के अन्दर आपूर्ति नही देने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अनुमोदित दर अगले दर निर्धारण तक के लिए प्रभावी मानी जाएगी।
5. आपूर्ति आदेश के अनुसार चारा की आपूर्ति करने की सूचना न्यूनतम एक दिन पूर्व देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदातों को एक ही दर स्वीकृत हाने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक को आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निविदा समिति को बिना कोई कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. किसी भी प्रकार का वैद्यानिक मामला शेखपुरा जिला (बिहार) के क्षेत्राधीन होगा।
9. निविदा सूचना के लिए वेबसाइट **www.ahd.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

Navin Kumar
24/06/17

जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा।